झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन)

विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।
3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (1) में शब्द **"पचास हजार"** का प्रतिस्थापन।
4. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (2) में शब्द **"एक लाख"** का प्रतिस्थापन।
5. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।
6. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 के उप धारा (1) के खण्ड (a) में शब्द **"दो लाख पचास हजार"** का प्रतिस्थापन।

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग के लिए बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** - (1) यह अधिनियम **बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018** कहा जायेगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।** - बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) (आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-19 में :-

   (i) उप धारा (1) में शब्द **"पचास हजार"** को शब्द **"पाँच लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

   (ii) उप धारा (2) में शब्द **"एक लाख"** को शब्द **"सात लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।** - धारा-21 में :-

   (i) उप धारा (1) की खण्ड (a) में शब्द **"दो लाख पचास हजार"** को शब्द **"पचीस लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

यह विधेयक बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 19 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 19 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 34--50--3-8-2018